रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-19012026-269440
CG-TL-E-19012026-269440

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 19, 2026/पौष 29, 1947
No. 236] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 19, 2026/PAUSHA 29, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 13 जनवरी, 2026

का.आ. 264(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20A की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है), केंद्र सरकार, इस तथ्य से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात् "दक्षिण मध्य रेलवे के गुडूर–विजयवाड़ा खंड के वेंकटाचलम यार्ड में किलोमीटर 158/6–8 पर स्थित समपार (एल.सी.)संख्या 107 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल का निर्माण" के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद् द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण किए जाने की अपनी मंशा घोषित करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में रुचि रखता है, वह इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20-D की उप-धारा (1) के अंतर्गत, उपर्युक्त उद्देश्य के लिए उक्त भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति भूमि अधिग्रहण हेतु सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी (भूमि अधिग्रहण), नेल्लोर, श्री पोट्टि श्रीरामुलु नेल्लोर जिला को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी तथा उसमें आपत्ति के आधार स्पष्ट रूप से अंकित किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी (भूमि अधिग्रहण), नेल्लोर, श्री पोट्टि श्रीरामुलु नेल्लोर जिला आपत्ति करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अथवा कानूनी प्रैक्टिशनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् तथा भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सक्षम प्राधिकारी (CALA) द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली किसी भी अतिरिक्त जाँच के उपरांत, आदेश द्वारा ऐसी आपत्तियों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20(D) की उप-धारा (2) के अंतर्गत भूमि अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की भूमि योजनाएँ एवं अन्य विवरण उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी (CALA) के उपर्युक्त कार्यालय में उनका अवलोकन कर सकते हैं।

अनुसूची

अधिग्रहण में भूमियों का विवरण: आंध्र प्रदेश राज्य में दक्षिण मध्य रेलवे के गुडूर–विजयवाड़ा खंड के वेंकटाचलम यार्ड में किलोमीटर 158/6–8 पर समपार संख्या 107 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल का निर्माण।

क्रम सं.	वर्गीकरण	पूर्ण विस्तार	सर्वे सं. (उप-विभाग सहित)	वेब भूमि अभिलेख के अनुसार भूमिधारक	भोगाधिकार के अनुसार नाम	निजी पट्टा भूमि का कुल क्षेत्रफल तथा भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (सेंट-एकड़)			टिप्पणियाँ
						निजी भूमि	आबंटित भूमि	सरकारी भूमि	
Village: Kanapur Bit-I									
1	G.D.	87.07	1716	न्यास भूमि	न्यास भूमि	1.49	-	-	ट्रस्टी, वेंकटचलम सत्रम्
2	G.D.	53.08	1718	न्यास भूमि	न्यास भूमि	2.44	-	-	ट्रस्टी, वेंकटचलम सत्रम्
3	G.D.	11.61	1720	न्यास भूमि	न्यास भूमि	0.45	-	-	ट्रस्टी, वेंकटचलम सत्रम्
4	G.P	8.23	1722	न्यास भूमि	न्यास भूमि	0.21	-	-	
5	G.D.	94.73	1723	न्यास भूमि	न्यास भूमि	2.31	-	-	ट्रस्टी, वेंकटचलम सत्रम्
6	G.D.	14.17	1781	न्यास भूमि	न्यास भूमि	0.85	-	-	ट्रस्टी,

									वेंकटचलम सत्रम्
7	G.D.	6.99	1791	तालाब	तालाब	-	-	0.55	
8	G.P	10.6	1859	रेलवे लाइन	रेलवे लाइन	-	-	0.56	
Grand Total						**7.75**	-	**1.11**	

[फा. सं. RSP/Gazette/20A/LC.No.107/GDR-BZA/BZA]

मनोज कुमार, सीई/सी

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 13th January, 2026

S.O. 264(E).— In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for the execution of The Special Railway Project namely, "Construction of Road Over Bridge in Lieu of Level Crossing (LC) No. 107 at Km.158/6-8 at Venkatachalam Yard of Gudur – Vijayawada Section of South Central Railway" hereby declares its intension to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20-D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority for Land Acquisition(CALA), namely, Revenue Divisional Officer (land acquisition), Nellore, Sri Potti Sriramulu Nellore District in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority and Revenue Divisional Officer (land acquisition), Nellore, Sri Potti Sriramulu Nellore District shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority for Land Acquisition(CALA) thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority for Land Acquisition under sub section (2) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the Competent Authority (CALA).

SCHEDULE

Description of Lands in Acquisition: Construction of Road Over Bridge In lieu of Level Crossing No. 107 at Km.158/6-8 at Venkatachalam Yard of Gudur – Vijayawada Section of South Central Railway in the state of Andhra Pradesh.

Sl. No.	Classification	Full Extent	Sy.No with Sub Division	As per web land owner	As per enjoyment Name	Extent of Private Patta Land Extent Proposed for LA(Ac-Cts)			Remarks
						Private Land	Assignment land	Government Land	
Village: Kanapur Bit-I									
1	G.D.	87.07	1716	Endowment land	Endowment land	1.49	-	-	Trustee, Venkatachalam satram
2	G.D.	53.08	1718	Endowment land	Endowment land	2.44	-	-	Trustee, Venkatachalam satram
3	G.D.	11.61	1720	Endowment land	Endowment land	0.45	-	-	Trustee, Venkatachalam satram
4	G.P	8.23	1722	Endowment land	Endowment land	0.21	-	-	
5	G.D.	94.73	1723	Endowment land	Endowment land	2.31	-	-	Trustee, Venkatachalam satram
6	G.D.	14.17	1781	Endowment land	Endowment land	0.85	-	-	Trustee, Venkatachalam satram
7	G.D.	6.99	1791	Tank	Tank	-	-	0.55	
8	G.P	10.6	1859	Railway line	Railway line	-	-	0.56	
Grand Total						**7.75**	-	**1.11**	

[F. No. RSP/Gazette/20A/LC.No.107/GDR-BZA/BZA]

MANOJ KUMAR, CE/C

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.01.19 22:41:28 +05'30'